

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)
(फोन नं. 0141-2225532, 2222452 फैक्स नं. 0141-2221792)

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (48)पार्ट II/2022/1143

दिनांक : 31-3-22

आदेश

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी जयपुर के अधीन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य में संचालित एस.आर.एल. एवं वायरल लोड लैब में अनुबंध पर कार्यरत निम्नांकित अनुबंधित कार्मिकों के अनुबंध की सेवा अवधि, जो दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो रही है, को उनके वर्क परफोरमेन्स एवं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक A-11011/03/2022-NACO (HR) दिनांक 27.01.2022 में दिये गये निर्देशों के आधार पर एक दिवस (01.04.22) का ब्रेक देते हुये दिनांक 02.04.2022 से 31.03.2023 तक के लिए बढ़ाया जाता है:-

S.No.	Office Name	Unit	Name with Designation
1	SMS Medical College, Dept. of Microbiology, Jaipur	VLL	Mr. Rahul Jangid Lab Technician
2	SMS Medical College, Dept. of Microbiology, Jaipur	VLL	Ms. Manju Daila Technical Officer
3	Dr. S.N. Medical College, Dept. of Microbiology, Jodhpur	VLL	Mr. Sudeep Sharma Technical Officer
4	RNT Medical College, Dept of Microbiology, Udaipur	SRL	Mr. Yogesh Saini Technical Officer

नोट:- अनुबंध पर कार्यरत कार्मिक जिसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक हो गई है, उसकी अभिवृद्धि नहीं मानी जावे।

उक्त कार्मिकों को दिनांक 02.04.2022 से बढ़ाई गई अवधि तक के लिए इस कार्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र राशि रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापन पश्चात् निष्पादित करना अनिवार्य होगा। उक्त सभी कार्मिकों के अनुबंध निष्पादन पश्चात् संबंधित कार्यालय प्रभारी अपने कार्यालय रेकार्ड में रखें तथा छायाप्रति कार्यालय को भिजवावें।

(डॉ. रविप्रकाश शर्मा)
निदेशक (एड्स) एवं
परियोजना निदेशक-RSACS

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (48)पार्ट II/2022/1143

दिनांक : 31-3-22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अवर सचिव, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक..... ।
4. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष..... ।
5. संयुक्त निदेशक (वित्त), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
6. उप निदेशक (लैब सर्विसेज), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि माह अप्रैल 2022 का मानदेय जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि समस्त कार्मिक, जिनके अनुबंध की अवधि बढ़ाई गई है, उनके द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र निष्पादित कर दिया गया है। यदि उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई हो तो ऐसे कार्मिकों का अप्रैल 2022 का मानदेय जारी नहीं किया जावे।
7. संबंधित कर्मचारी।
8. आदेश पत्रावली।

निदेशक (एड्स) एवं
परियोजना निदेशक-RSACS